कार्यवृत्त

मंगलवार, 19 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1941

(दिनांक 10 दिसम्बर, 2019)

खण्ड–55

अंक–5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष ने टी0एच0डी0सी0 का एन0टी0पी0सी0 में विलय कर विनिवेश किए जाने के सम्बन्ध में नियम–310 में चर्चा कराए जाने का अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। श्री अध्यक्ष ने कहा वे नियम–310 की सूचना को नियम–58 में सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गए, उत्तर दिए गए।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि आपने गैरसैंण सत्र में याचिकाओं के सन्दर्भ में एक समिति का गठन किया था और उस समिति ने यह निर्णय लिया था कि एक मा0 सदस्य की केवल 03 याचिकाएं ही लगेंगी तथा यदि उस दिन किसी अन्य सदस्य की याचिकाएं नहीं आयेंगी तो 05 याचिकाएं लगा सकते हैं। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री करन माहरा, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि दिनांक 21 फरवरी, 2019 को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा को निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया, किन्तु 3 माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी शासन से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा मैं निश्चित रूप से इन सारे विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। यदि कहीं पर भी कोई बात आएगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अतिमहत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे अल्पसूचित प्रश्नों के द्वारा सदन में उठाए जाते हैं। यहां देखने में आता है, जिस विभाग का प्रश्न है तो अगर उस विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं है तो वह प्रश्न नहीं आ पाता। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, प्रश्न लगाना, उसके बाद स्वीकार करना, स्वीकार करने के बाद मा0 मंत्रीगणों को भेजना, उसके बाद मा0 मंत्री जवाब देते हैं, प्रश्न को स्वीकार करना, न करना विधान सभा का अधिकार है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा से सम्बन्धित मामले में आप अलग से वार्ता कर लें।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं, जो सभी पढ़ी हुई मानी गई :–

1. श्री देशराज कर्णवाल	राजकीय इण्टर कॉलेज कुजॉ बहादुरपुर का नाम शहीद राजा विजय सिंह रा0 इ0 का0 बहादुरपुर करने के सम्बन्ध में।
2. श्री उमेश शर्मा (काऊ)	जनपद देहरादून के नगरीय क्षेत्रों में जे0एन0 एन0 यू0 आर0एम0 योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं में सीवर, पेयजल लाइन विछाए जाने एवं रिस्पना एवं बिंदाल नदियों के सौन्दर्यीकरण न होने के सम्बन्ध में।

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार — विधान सभा धनोल्टी के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज भवान जौनपुर में वर्षों से रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री खजानदास — राजपुर रोड विधान सभा, देहरादून अन्तर्गत बिन्दाल एवं रिस्पना नदी के दोनों ओर जानमाल की सुरक्षा हेतु तटबंधों का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री फुरकान अहमद — जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की–हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में।

6. श्रीमती ममता राकेश — विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के ग्राम वहबलपुर में डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री मनोज रावत — राज्य में 'हमारी कन्या, हमारा अभियान' में सम्मिलित होने से छूट गई कन्याओं को नन्दा गौरा योजना में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी — विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर–मार्ग स्टेज –1 के निर्माण में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आपत्ति न दिए जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री प्रदीप बत्रा — मा0 मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल पीरबाबा कालोनी को रेलवे स्टेशनों को पैदल सेतु एवं स्टेट बैंक वाली रोड के सामने स्टेट बैंक से गंगा, एन्क्लेव, सैनिक कालोनी, चावमण्डी, साकेत आदि को जोड़ने वाले पुल के निर्माण के सम्बन्ध में ।

10 श्री शक्ति लाल शाह — जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत रा0 इ0 का0 धोपड़धार, मथकुड़ीसैंण एवं कठूड़ हिन्दाव आदि में एक भी प्रवक्ता न होने के सम्बन्ध में।

11. श्री नवीन चन्द्र दुम्का — विधान सभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाग हल्द्वानी के विभिन्न गांवों में हाथियों द्वारा फसलों के नुकसान के सम्बन्ध में ।

12. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना — प्रदेश के विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिलने से व्याप्त असन्तोष की सूचना के सम्बन्ध में।

13. श्री आदेश चौहान — जनपद हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध धर्मनगरी, कुम्भ नगरी में अवैध शराब व स्मैक की बिक्री पर रोक लगाए जाने के सम्बन्ध में।

14. श्री राजकुमार ठुकराल	जनपद ऊधमसिंहनगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में सीवर लाईन के अतिशीघ्र निर्माण के सन्दर्भ में।
15. कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''	राज्य निर्माण के उपरान्त राजधानी देहरादून में अपनी मांगों को लेकर आन्दोलनकारियों द्वारा सड़को पर जाम लगने से नागरिकों को परेशानी होने से आन्दोलन स्थल परेड ग्राउण्ड से स्थान पर बदले जाने के सम्बन्ध में।
16. श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के ग्राम सभा खैनुरी में पेयजल की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में।
17. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	विधान सभा कपकोट क्षेत्रान्तर्गत स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपकोट में एक्सरे व अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
18. श्री गणेश जोशी	जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजकीय संयुक्त चिकित्सालय मसूरी में डॉक्टरों की कमी के कारण आम जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।
19. श्रीमती मीना गंगोला	विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में खूबसूरत पर्यटन क्षेत्र बेरीनाग, चौकाड़ी, झलतोला में टी–स्टेट की भूमि का अधिग्रहण होने के बाद भी लोगों को मालिकाना हक न दिलाए जाने के सम्बन्ध में।
20. श्री महेश सिंह नेगी	विधान सभा द्वाराहाट के चौखुटिया में प्रस्तावित तड़ागताल झील के सर्वे/डी.पी.आर. निर्माण हेतु धन आवांटन नही होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
21. श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के तुगरोली ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु लिफ्ट योजना बन्द होने से जनता में भारी आक्रोश के सम्बन्ध में
22. श्री चन्दन राम दास	प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में निरन्तर शिक्षण कार्य कर रहे टी0ई0टी0 शिक्षामित्रों का समायोजन करने के सम्बन्ध में।
23. श्री हरबन्स कपूर	प्रदेश में कुछ समय पूर्व चल रहे अतिक्रमण अभियान में नालियों एवं बिजली के पोलों को शिफ्ट किए बिना सड़क की पूरी चौड़ाई का लाभ जनता को न मिलने के सम्बन्ध में।

24. श्री राम सिंह कैड़ा	उत्तराखण्ड प्रदेश में कार्यरत उपनल कर्मचारियों को समान कार्य, समान वेतन ना मिलने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
25. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्रामकण्डोली, पौधा व विधोली तथा अन्य ग्रामों में चल रहे शिक्षण संस्थानों में निर्माणाधीन छात्रावासों की सीलिंग न करने के सम्बन्ध में ।
26. श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत भरतपुरी पम्पापुरी दुर्गापुरी व कौशल्यापुरी आदि कालोनियों के नियमितीकरण व मालिकाना हक न मिल पाने से व्याप्त असन्तोष की के सम्बन्ध में।
27. श्री मुकेश सिंह कोली	विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत घुड़दौड़ी बिलकेदार पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण प्रारम्भ न हो पाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।
28. डा0 प्रेम सिंह राणा	उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ परीक्षा में शिक्षा विभाग के शैक्षिक संवर्ग एवं प्रशासनिक संवर्ग में उपशिक्षा अधिकारी के पदों पर पारदर्शिता अपनाने के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या–1, वर्ष 2019 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या–2, वर्ष 2019 को सदन के पटल पर रखा।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम अकबरपुर कालसों में खेल के मैदान की चाहरदीवारी एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में'' श्री सोनू मुसर्रफ, ग्राम अकबरपुर कालसों, पो0 हल्लूमजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य ,विधान सभा द्वारा ''विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम अकबरपुर कालसों में इरफान के मकान से शहीदसेख के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अली मुसर्रफ, ग्राम अकबरपुर कालसों, पो0 हल्लूमजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम निवादा रोलाहेड़ी से मेन सड़क सिकरौड़ा तक लगभग 01 कि0मी0, पी0सी0 सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री असलम ईस्लाम, ग्राम रोलाहेडी, पो0 हल्लूमजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के ग्राम बिन्दुखड़क में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री शिवकुमार पुत्र श्री विजयपाल, ग्राम बिन्दुखड़क, पो0 भलस्वागाज, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के ग्राम बैड़हेकी में पानी की टंकी को सुचारू रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में" श्री मनोज पुत्र श्री नकवी, ग्राम बैड़हेकी, पो0 ईकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रदीप बत्रा, माननीय सदस्य, विधान सभा ने अपने पत्र संख्या 2018–19/एम.एल.ए./941, दिनांक 20 अगस्त, 2018 के माध्यम से श्री अशोक चौहान, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रुड़की, जनपद हरिद्वार के विरुद्ध उनके आदेशों की अवहेलना करने तथा कार्य को विलम्ब से करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री के अ0शा0प0संख्या 265/III(1)/19–12(11)/वि0स0/18, दिनांक 11 फरवरी, 2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री प्रदीप बत्रा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा उल्लेख किया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, श्री अशोक चौहान द्वारा उनके विधान सभा क्षेत्र में निर्माण के लिए उनके द्वारा जो भी पत्र प्रेषित किएजाते हैं, उनकी अनदेखी कर कार्य को विलम्ब से किया जाता है तथा आगणन बनाने में कई माह का समय ले लेते हैं। इस तरह की लापरवाही उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन है। अतः माननीय सदस्य द्वारा अधिशासी अभियन्ता, श्री अशोक चौहान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 के द्वारा निम्नानुसार सूचना शासन को उपलब्ध कराई गई हैः–

1. माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र रूड़की द्वारा कार्यों के आगणन बनाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर ससमय कार्यवाही की गई है। चूंकि विधान सभा क्षेत्र रुड़की का अधिकांश क्षेत्र नगर निगम रुड़की के अन्तर्गत आता है तथा निकाय क्षेत्रों में मुख्य मार्गों के कार्य कराए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है। लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में मात्र 01 मार्ग गणेशपुर से रेलवे स्टेशन फीडर मार्ग (लम्बाई–1.00 किमी0) का क्षेत्र आता है। माननीय सदस्य द्वारा अधिकांशतः नगर की विभिन्न आवासीय कालोनी के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों के पुनर्निर्माण के आगणन प्रेषित किए जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किए गये हैं।

2. उक्त के अतिरिक्त ऊपरी गंगा नहर सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति होने के कारण इस क्षेत्र में कार्य किए जाने हेतु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्राप्त कर आगणन प्रस्तुत किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में कार्य हेतु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को अनापत्ति प्रदान किए जाने हेतु ससमय प्रेषित किए गए पत्रों पर उनके द्वारा अनापत्ति निर्गत करने में असमर्थता व्यक्त की गई है।

माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्यों के आगणन प्रेषित किए जाने से पूर्व प्रचलित शासनादेशों का अनुपालन किए जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त समय लगना स्वाभाविक है।

3. विधान सभा क्षेत्र रुड़की में पूर्व में 21 कार्य (लागत 2259.05 लाख) स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, शेष कार्यों में से 09 कार्य लगभग 70 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिए गए हैं। 01 नाला निर्माण कार्य जो कि मानसून काल तथा कार्यस्थल की समस्या के कारण बाधित था, परन्तु वहां भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रकार माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र रुड़की के विभिन्न पत्रों परतत्काल कार्यवाही किए जाने के दृष्टिगत माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन नही किया गया है।

चूंकि माननीय सदस्य श्री प्रदीप बत्रा द्वारा कार्य विशेष के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा उनके आदेशों को न मानने से सम्बन्धित शिकायत है, किन्तु उपरोक्त तथ्यों के अनुसार शासकीय कार्यों के विषय में विशेषाधिकार भंग का मामला होना प्रतीत नहीं होता है। यह भी उल्लेख करना है कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री अशोक चौहान दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य द्वारा पूर्व में भी कतिपय सूचना विशेषाधिकार हनन के सम्बन्ध में दी है, जिसके पश्चात् उनके द्वारा यह अवगत कराते हुए शिकायत निरस्त करने का अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा मौखिक रूप से कतिपय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही थी। जिसके क्रम में उनके द्वारा उन पर कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु पिछले समय में नियमित रूप से उनके कार्यों का अनुसरण किया जा रहा है जो कि सन्तोषजनक है। इस सम्बन्ध में मेरा मत है कि माननीय सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना अत्यन्त विवेकशील एवं सावधानीपूर्वक मात्र मौखिक आधार पर न होकर, सम्पूर्ण तथ्यों की पुष्टि के आधार पर ही दी जानी चाहिए। ताकि इस सम्मानित सदन की गरिमा एवं महानता बनी रह सके।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रदीप बत्रा, माननीय सदस्य, विधान सभा ने अपने पत्र संख्या 2017–18/एम.एल.ए./626, दिनांक 27 जनवरी, 2018 के द्वारा सूचित किया है कि श्री रंजन मिश्रा, मुख्य व्यवस्थाधिकारी, उत्तराखण्ड सदन द्वारा उनके आदेशों व पत्रों की अवहेलना के सम्बन्ध में दिनांक 27 जनवरी, 2018 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई, उनके द्वारा सूचित किया गया है कि सन्दर्भित प्रकरण में शासन के पत्र संख्या 198/XXXII/2018/5(21)/2015 टी0सी0, दिनांक 05 फरवरी, 2018 के माध्यम से प्रकरण में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। स्पष्टीकरण दिनांक 17 फरवरी, 2018 में श्री रंजन मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कभी भी माननीय सदस्य, विधान सभा के पत्र अथवा आदेश की अवहेलना नहीं की गई है, यदि किसी प्रकार की असुविधा माननीय सदस्य, विधान सभा को हुई है तो, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए आश्वस्त किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दिया जायेगा।

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 की बैठक में दिनांक 10 दिसम्बर 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

10 दिसम्बर, 2019

विधायी कार्य–

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**

2. उत्तराखण्ड चार धाम श्राइन प्रबन्धन विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(02 घण्टा)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से सहमत हैं। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, श्री हरीश सिंह, श्री प्रीतम सिंह, श्रीमती ममता राकेश, एवं श्री राजकुमार की 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से प्रीतम सिंह पंवार, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, श्री हरीश सिंह, श्री प्रीतम सिंह, एवं श्री राजकुमार की सूचनाएं स्वीकार की गई शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

टी0एच0डी0सी0 का एन0टी0पी0सी0 में विलय कर विनिवेश किए जाने के सम्बन्ध नियम–310 से नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर चर्चा मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण से प्रारम्भ हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किए:–

1. श्री प्रीतम सिंह,
1. श्री सुबोध उनियाल, मा0 कृषि मंत्री,
2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4 .श्री हरीश सिंह,
5. श्रीमती ममता राकेश,

संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सदन की कार्यवाही 12:40 बजे भोजनावकाश के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 02:30 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री प्रीतम सिंह पंवार का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नेटवर्किंग की समस्या के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री हरीश सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम में ऑनलाइन निविदा में हुई धांधली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

नगर निगम हल्द्वानी द्वारा संचालित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इन्दिरा हृदयेश ने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष 3 बजकर 46 मिनट पर पुनः पीठासीन हुए।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगाव स्योरी मोटर–मार्ग न होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री राजकुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–7, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

पर्यटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चार धाम श्राइन प्रबन्धन विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इन्दिरा हृदयेश ने उक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत कियाः–

''उत्तराखण्ड चार धाम श्राइन प्रबन्धन विधेयक, 2019 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करें।

मा0 नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इन्दिरा हृदयेश तथा संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किएः–

1. श्री मनोज रावत,
2. श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल,
3. श्री महेन्द्र भट्ट,
4. श्री दलीप सिंह रावत,

श्री उपाध्यक्ष 05 बजे पुनः पीठासीन हुए।

5. श्री मुन्ना सिंह चौहान,
6. श्री गोपाल सिंह रावत,
7. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,
8. श्री केदार सिंह रावत,

श्री अध्यक्ष 5 बजकर 30 मिनट पर पुनः पीठासीन हुए।

9. श्री धन सिंह नेगी,
10. श्री विनोद चमोली,
11. श्री प्रीतम सिंह,

पर्यटन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त मा0 नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इन्दिरा हृदयेश द्वारा प्रस्तुत **संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

नेता प्रतिपक्ष ने ने कहा कि सरकार संख्या बल के आधार पर मनमानी कर रही है, इसलिए हम सदन का **बहिर्गमन** करते हैं तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य सदन से बाहर चले गए।

श्री महेन्द्र भट्ट, माननीय सदस्य विधान सभा ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चार धाम श्राइन प्रबन्धन विधेयक, 2019 में शीषर्क सहित विधेयक में जहां–जहां शब्द '' **श्राइन**'' प्रयुक्त हुआ है, के स्थान पर वहां– वहां ''**देवस्थानम्**'' शब्द रख दिया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–49, खण्ड–1 तथा अनुसूची, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

पर्यटन मंत्री के उत्तर भाषण से असंतुष्ट होकर मा0 नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे

पर्यटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चार धाम **श्राइन** प्रबन्धन विधेयक, 2019 को यथा संशोधित पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

दिनांक 24 जून, 2019 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–05 के सम्बन्ध में श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों की समस्याओं के भौतिक निरीक्षण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट विषयक सूचना पर **नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा श्रीमती ममता राकेश के भाषण से आरम्भ हुई। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे सभी सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड आंगनबांडी कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आंगनबांड़ी कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा अवस्थापना निधि कि अन्तर्गत अप्रैल, 2017 से 2019 तक जनपद देहरादून में कराए गए विकास कार्यों तथा स्वीकृत कराए गए विकास कार्यों के विवरण के सम्बन्ध में श्री उमेश शर्मा काऊ,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जनपद उत्तकाशी में कार्यरत टीमों को कम करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री प्रीतम सिंह पंवार,

विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में ट्रक, डम्पर व अन्य बड़े एवं छोटे वाहनों से कुचले गए व्यक्तियों तथा अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा/आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ममता राकेश,

एस0 सी0 पी0 के अन्तर्गत नौना पय्यां चाँदपुरगढ़ी मोटरमार्ग का निर्माण का आगणन शासन में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,

रुड़की में रामकृष्ण मिशन की ओर से रुड़की पब्लिक स्कूल में होते हुए हिमालय होटल एवं मधुरपुरम से होते हुए ग्राम शेरपुर से हिमालय होटल तक नाला निर्माण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप बत्रा।

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के हाई के.वी. की बिजली लाईनों को शिफ्ट करने के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास,

विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के तीन पमुख सड़क मार्गों का निर्माण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री राजकुमार ठुकराल,

विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण पूर्ण न होने पाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री मुकेश सिंह कोली

वर्ष 2016—17 में पूर्व से स्वीकृत 'गौरा देवी कन्या धन योजना' का लाभ न मिलने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना।

प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु भूमि की बाध्यता अनिवार्य होने से आ रही परेशानी से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल,

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के रा0इ0का0 थालाबैंड में इण्टर में गणित विषय की स्वीकृति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र भट्ट,

विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत थल—झेलम मोटर—मार्ग का निर्माण सन् 1998 में होने के पश्चात् भी अभी तक सड़क का डामरीकरण न होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में श्रीमती मीना गंगोला,

रामनगर विधान सभा के अन्तर्गत कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधीन 02 किमी0 के अन्तर्गत जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा—143 भू—उपयोग परिवर्तन संशोधन के सम्बन्ध में श्री दीवान सिंह बिष्ट,

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, डीडीहाट के भवन की छत ठीक कराने के सम्बन्ध में श्री विशन सिंह चुफाल

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित डेयरियों से निकलने वाले गोबर से उत्पन्न सम्स्या के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर,

विधान सभा द्वाराहाट के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 9/2019 के अन्तर्गत सांस्कृतिक नगरी द्वाराहाट की ऐतिहासिक धरोवर श्री शुक्रेश्वर महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय धनराशि स्वीकृत के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह नेगी,

उत्तराखण्ड प्रदेश सहित विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत जल संस्थान में कार्यरत पी0टी0सी0 कर्मचारियों का मानदेय न बढ़ाए जाने व समय से वेतन न मिलने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री राम सिंह कैड़ा की सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकृत किया गया।

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन धरमधर—चुचेर मोटर मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम—53 के अन्तर्गत वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया।

पर्वतीय क्षेत्र में लीसा लघु उद्योग की मांग के अनुसार लीसा कच्चा माल स्थानीय स्तर पर रोक कर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का नियम—53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 5 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।